पत्रांक –3/एम०–16/2021सा0प्र0 6968 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.7. 2021

विषय– सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में किया गया है। तदनुसार किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार उसके "अनुशासनिक प्राधिकार" होंगे।

2. नियमावली के नियम–2(झ) एवं 15 में अनुशासनिक प्राधिकार को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के आलोक में किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके प्रत्यायोजित शक्ति के तहत काम करने वाले कोई अधीनस्थ प्राधिकार ही उसके अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। अतः किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार ही सक्षम होते हैं।

3. विदित हो कि किसी सरकारी सेवक के संदर्भ में उसके अनुशासनिक प्राधिकार की हैसियत से यदि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ही दण्ड अधिरोपित किया जाय, तो ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 में यथानिर्धारित लघु एवं वृहद्– दोनों प्रकार की शास्तियाँ अधिरोपित करने में सक्षम होते हैं। परन्तु अगर कोई अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा

प्रत्यायोजित शक्ति के तहत अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति का प्रयोग करे, तब ऐसा प्राधिकार नियम–14 में यथानिर्धारित मात्र लघु दण्ड को अधिरोपित करने के संदर्भ में निर्णय ले सकता है। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत कार्य करने वाले अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहद दण्ड के संबंध में निर्णय लिया जाना भारत–संविधान के अनुच्छेद, 311 के प्रावधान के प्रतिकूल होगा।

4. परन्तु उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद भी ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय मामलों में संबंधित सरकारी सेवक के अनुशासनिक प्राधिकार के निर्धारण में स्पष्टता का अभाव है। इस संदर्भ में कतिपय रेफरेन्स सामान्य प्रशासन विभाग में भी प्राप्त हुए हैं।

5. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या–105 दिनांक–25.01.2017–सहपठित–अधिसूचना संख्या–106 दिनांक–27.01.2017 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 की चतुर्थ अनुसूची के भाग–ख को निम्नवत् संशोधित किया गया है–

प्रावधान	निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार
6. प्रोन्नति संबंधी मामले (लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)।	
(i) राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति के मामले।	(i)सचिव
(ii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के प्रोन्नति के मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी./डी.ए.सी.पी.) इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(ii) प्रधान सचिव/ सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी./डी.ए.सी.पी.) इत्यादि की स्वीकृति के मामले।	(iii) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
(iv) राज्य सेवाओं के बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड में पर्यवेक्षकीय पदों पर प्रोन्नति के मामले।	(iv) विभागाध्यक्ष

7. नियुक्ति संबंधी मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित मामलों सहित)।	
(i) समूह 'क' (विभागाध्यक्ष सहित)	(i) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
(ii) समूह – 'ख'	(ii) प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री
(iii) समूह– 'ग' एवं 'घ'	(iii) प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष या सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति प्राधिकार।

6. वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि –

(i) किसी आरोपित सरकारी सेवक द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन/दण्ड के अधिरोपण के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार ही उसके सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार होंगे भले ही आरोप/कदाचार उस अवधि का हो जब संबंधित सरकारी सेवक कोई न्यूनतर पद धारित करता हो।

(ii) स्पष्टतः सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति– दोनों तरीके से किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति की जा सकती है। सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार का निर्धारण बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची के भाग–'ख' क्रम संख्या–7 के द्वारा होगा जबकि प्रोन्नति से नियुक्ति की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार का निर्धारण बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनसूची के भाग–'ख' के क्रम संख्या–6 द्वारा होगा।

(iii) इसी प्रकार कोई सरकारी सेवक यदि प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी पद पर कार्यरत हो, तो उस पद पर प्रोन्नति देने हेतु उक्त निर्धारित सक्षम प्राधिकार ही उसका नियुक्ति प्राधिकार होगा।

(iv) उपर्युक्त विधि से निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार ही संबंधित सरकारी सेवक के संदर्भ में उसके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे। नियुक्ति प्राधिकार, यदि उचित समझे, तो वे अपने अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति को आदेश द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार में भी प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–9794 दिनांक–22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित) के विनियम–11 एवं विनियम–12 को प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त प्रतिस्थापन द्वारा राज्य सेवा सम्वर्ग के लेवल–9 एवं इससे उच्चतर लेवल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी

नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दण्ड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–806 दिनांक–16.01.2018 की कंडिका–7(ii) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची–3 की कंडिका–28 में निहित प्रावधान के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गयी हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्यूत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्त कराये जाने (तीनों वृहद दण्ड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उस पर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दण्ड संसूचित किया जाता है।**

7. उदाहरण के लिए–

(क) बिहार अभियंत्रण सेवा के मामले में–

(i) यदि किसी कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन/दण्ड का अधिरोपण प्रस्तावित हो परन्तु उसके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप/कदाचार उसके सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित हो, तब भी उसके अनुशासनिक प्राधिकार वही प्राधिकार होंगे जो उसके द्वारा वर्तमान में धारित पद अर्थात् कार्यपालक अभियंता के पद के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार हों।

(ii) कार्य विभागों में सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति होती है तथा कनीय अभियंता के गैर–सम्वर्गीय पद से प्रोन्नति से भी नियुक्ति होती है। अतः कोई सहायक अभियंता यदि सीधी भर्त्ती से नियुक्त हुआ हो तो कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग–'ख' क्रम संख्या–7(ii) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में समूह 'ख' का कर्मी होने के कारण प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री उनके नियुक्ति प्राधिकार होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे। परन्तु जिन मामलों में कनीय अभियंता के पद से प्रोन्नति से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति होती है वहाँ कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग–'ख' क्रम संख्या–6(i) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार अभियंत्रण सेवा के

बेसिक ग्रेड में प्रोन्नति का मामला होने के कारण विभागीय प्रधान सचिव/सचिव उनके नियुक्ति प्राधिकार होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

(iii) बिहार अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता से ऊपर के सभी पदों (शीर्षस्थ पद तथा विभागाध्यक्ष को छोड़कर) के नियुक्ति प्राधिकार उक्त नियम–6(ii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

(iv) बिहार अभियंत्रण सेवा के शीर्षस्थ पद तथा विभागाध्यक्ष के पदों के नियुक्ति प्राधिकार उक्त नियम–6(iii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

(ख) श्रम संसाधन विभाग अथवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के किसी संस्थान के प्राचार्य के पद, जो समूह 'क' का पद हो, पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक के नियुक्ति प्राधिकार कार्यपालिका नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के भाग–'ख' क्रम संख्या–7(i) के उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री होंगे और इसलिए वही उनके अनुशासनिक प्राधिकार भी होंगे।

8. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुसरण करने की कृपा की जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय

विश्वासभाजन,

9/7/21

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।